

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 2019 (श्रावण 1, 1941)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 12 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का बत्तीसवां एवं तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015, शासन के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल का 6 वां वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री करण सिंह वर्मा, सदस्य, सीहोर जिले की इछावर तहसील में खसरे की नकल देने हेतु अवैध राशि की वसूली किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री संजय यादव, सदस्य, भोपाल में भूमि पूजन के बाद भी विकास कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. मोहन यादव, श्री पारस चन्द्र जैन, सदस्य, उज्जैन की विनोद मिल के श्रमिकों को बकाया राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती रामबाई गोविन्द सिंह, सदस्य, सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम खमकुआं में विद्युत सब-स्टेशन स्वीकृत कराये जाने,

(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के ग्राम सरदारपुर अंतर्गत राजगढ़ नगर में सोसायटी ग्राउण्ड पर खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम राजौर महुआखेड़ा के पास ऐर नदी पर डेम बनाये जाने,

(4) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के कैथलाय से बोलाई व्हाया धतुरिया तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(5) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम सुलगांव से बंडी के मध्य जामनेर नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम आक्या उमाहेड़ा से नगरी-हनुमंती तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(7) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी शहर में एक जिम (व्यायाम शाला) एवं एक पुस्तकालय प्रारंभ कराये जाने,

(8) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन जिले के माधवनगर रेलवे स्टेशन से देवास गेट को जोड़ने हेतु अण्डर ग्राउण्ड ब्रिज का निर्माण कराये जाने,

(9) श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह जिले के हटा नगर अंतर्गत गांधी वार्ड में मंगल भवन का निर्माण कराये जाने,

(10) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम जावर में बायपास पुल का निर्माण कराये जाने,

(11) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर नगर में बायपास सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(12) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद नगर अंतर्गत मालाखेड़ी चक्कर रोड वार्ड क्र. 11 में सड़क, बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(13) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के बहोरीबंद अंतर्गत शांति नगर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों को मुआवजा प्रदान कराये जाने,

- (14) श्री प्रहलाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम हरदुआ/खमरिया के पास कठई बांध के पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,
- (15) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत को नल-जल योजना से जोड़े जाने,
- (16) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना जिले के रामपुर बघेलान अंतर्गत तहसील कोटर में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने,
- (17) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम पंचायत करीपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने,
- (18) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम पुरुषोत्तमपुर में 33 के.वी. का सब पावर स्टेशन लगवाये जाने,
- (19) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम राती करार खुर्द में सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (20) श्री मनोज चावला, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम खारवां कला में गोगापुर ताल रोड के दोनों ओर नाली का निर्माण कराये जाने,
- (21) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम इमलानी के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (22) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम सिमरौल-पठारी तक राज्य संपर्कता योजनान्तर्गत सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (23) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम परासिया से ग्राम नेहरिया तक रोड का निर्माण कराये जाने,
- (24) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम मोहिना से गुराड़िया पित्रामल तक रोड की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (25) श्री राकेश गिरि, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम अचर्रा का नाम आचार्य धाम करने एवं जिला निवाड़ी का नाम जिला ओरछा धाम किये जाने,
- (26) श्री महेश परमार, सदस्य, उज्जैन जिले के माकडोन रूपाखेड़ी के डामरीकृत सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने,
- (27) श्री राहुल सिंह लोधी, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के खरगापुर अंतर्गत ग्राम कुडीला में रेस्ट हाउस का निर्माण कराये जाने,
- (28) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले के जनपद पंचायत किरनापुर अंतर्गत घिसरी नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,
- (29) श्री प्रेमशंकर वर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम खोहरा से तारमखेडा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (30) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम मोहनी देवी स्थित मंदिर से ग्राम जमुनिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (31) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम पलोहाबडा से टिमरावन तक के मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराकर पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने,
- (32) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के राजीव नगर वार्ड स्थित अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,
- (33) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी, सदस्य, दमोह जिले के तेन्दूखेडा से अभाना तक सड़क का निर्माण कराये जाने,
- (34) श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य, भोपाल जिले के वार्ड क्र. 84 में रतनपुर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (35) श्री जजपाल सिंह 'जज्जी', सदस्य, अशोकनगर जिले के शाढोरा शासकीय कन्या हाईस्कूल हेतु नवीन भवन की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
- (36) श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम टामोटी में नवीन विद्युत ग्रिड की स्थापना कराये जाने,
- (37) श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम पौड़ी से बेलखेड़ी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (38) श्री सुरेश धाकड़, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम आंकुसी के घाट वाले नाले पर स्टापडेम निर्माण कराये जाने,
- (39) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के विकासखण्ड सिरमौर अंतर्गत बैकुण्ठपुर व्हाया शाहपुर होते हुये क्योटी तक पहुँच मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (40) श्री नीलांशु चतुर्वेदी, सदस्य, निवाड़ी जिले की तहसील ओरछा में राजस्व के प्रकरणों की सुनवाई कराये जाने,
- (41) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम कनकुरा से मिरचौली तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (42) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के जतारा अंतर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के भवन का पुनः निर्माण कार्य चालू कराये जाने,
- (43) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा, सदस्य, सतना जिले की नई बस्ती वार्ड क्र. 15 जेल रोड से टंकी व्हाया आर.पी. स्कूल तक रोड का निर्माण कराये जाने,
- (44) श्री शरद जुगलाल कोल, सदस्य, शहडोल जिले के ग्राम ढोढा के शास. माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (45) श्री संजय यादव, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम पंचायत कटोरी में सी.सी. रोड के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,
- (46) श्री मुरली मोरवाल, सदस्य, उज्जैन जिले के लोहाना कुटी बड़नगर से गोकुलपुर कुटी (देपालपुर) तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (47) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम मुण्डला से मांगरोल चक तक डामरीकृत सड़क बनाये जाने,
- (48) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य, अशोकनगर जिले के ग्राम पिपरई के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किये जाने,
- (49) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य, सतना जिला के अंतर्गत अमरपाटन सिविल अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं एवं डॉक्टरों की नियुक्ति कराये जाने,

- (50) श्री आरिफ मसूद, सदस्य, भोपाल शहर के छोटे तालाब से काली मंदिर होते हुये भारत टाकीज ओवर ब्रिज को जोड़ते हुये ताज महल शाहजहांनाबाद तक एक नवीन ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने,
- (51) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम अगरा में विद्युत सब-स्टेशन की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,
- (52) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र.81 अंतर्गत बैरागढ़ चिचली, पटेल नगर, कोलार में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने,
- (53) श्री राम दांगोरे, सदस्य, खण्डवा जिले के लिंगी फाटा से भगवत सागर परियोजना (सुकताडेम) तक सड़क मार्ग बनाये जाने,
- (54) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य, रीवा जिले के रायपुर (कर्चु.) अंतर्गत मनकहरी हाईस्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
- (55) श्री जसमंत जाटव छितरी, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम सतनवाड़ा से नरवर तक सड़क निर्माण कराये जाने,
- (56) श्री सुभाष रामचरित्र, सदस्य, सिंगरौली जिले के ग्राम रौहाल एवं भलैया टोला के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
- (57) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना की 50% बैंक ऋण राशि माफ कराये जाने,
- (58) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, सदस्य, सीहोर जिले के आष्टा नगर में शासकीय कन्या महाविद्यालय एवं ग्राम कोठरी में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मण्डल हेतु तीन सदस्यों का निर्वाचन.

श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

“यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 27 की उपधारा (2) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के प्रबंध मंडल के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो”.

निर्धारित समय 6. वर्ष 2008-2009 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक.

(i) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे-

“ दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 43 एवं 62 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदया को पांच करोड़, उनतीस लाख, पच्चीस हजार, सात सौ तिहत्तर रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय. ”

(ii) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) का *पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. वर्ष 2010-2011 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक.

(i) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे-

“ दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 23 एवं 24 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदया को बारह करोड़, बासठ लाख, सैंतीस हजार, सात सौ चालीस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय. ”

(ii) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) का **पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश गौ-भैंस वंश प्रजनन विनियमन विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 26 सन् 2019) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

*आधिक्य व्यय की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

** आधिक्य व्यय की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

- (3) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 30 मि. (4) डॉ. गोविन्द सिंह, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 20 मि. (5) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 30 मि. (6) श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 30 मि. (7) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 16 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 20 मि. (8) श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 26 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 30 मि. (9) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय।
- 30 मि. (10) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 30 मि. (11) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 30 मि. (12) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 30 मि. (13) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 18 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 20 मि. (14) श्री तुलसीराम सिलावट, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 1 घण्टा (15) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गौ-भैंस वंश प्रजनन विनियमन विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 30 मि. (16) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।
- 1 घण्टा (17) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) पर विचार किया जाय।
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

भोपाल :
दिनांक : 22 जुलाई, 2019

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.